न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी :– त्रिलोक चन्द मीना (RAS)

प्रकरण संख्या:– 73/2015

1. सुभाष चन्द पुत्र धर्म शंकर जाति ब्राहमण निवासी बंध बारैठा तहसील बयाना
2. दिनेश चन्द पुत्र मिठठू लाल जाति ब्राहमण

.... प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए पैरोकार सरकार अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी बावत साविक ख0न0 2148/1780 लगायत 1786 रकवा 10 वीघा तथा हाल ख0न0 3906 लगायत से 3922 वाके ग्राम बंध बारैठा रिसीवर से वागुजार करने बावत।

निर्णय

दिनांकः 03.01.2023

उपस्थितः– श्री वेदप्रकास शर्मा एडवोकेट प्रार्थीगण।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 144 सीपीसी के तहत पेश कर निवेदन किया है कि एक दावा माधोचरन वगैराह बनाम धर्मशंकर वगैराह के नाम उपजिलाधीश बयाना के यहां तथा अन्य दूसरा वाद घूडे बनाम धर्मशंकर वगैरा पेश हुए। दोनो दावे कन्सोलीडेट किये गये। दानों दावों को न्यायालय उपखण्डाधिकारी बयाना द्वारा दिनांक 03. 05.1983 को खारिज कर दिया। जिसकी अपील मा0 भू–प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकरी भरतपुर में की गई। दिनांक 07.01.9184 को राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा दावा घूडे बनाम धर्मशंकर खारिज कर सिविल न्यायालय भरतपुर में प्रस्तुत किए जाने के आदेश प्रदान किए गए । मा0 न्यायालय भू– प्रबंध अधिकारी भरतपुर के निर्णय की अपील राजस्व मण्डल अजमेर में की गई । मा0 राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 28.01.1991 भू– प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 07.01.1984 को वहाल रखा। उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावे में माननीय सिविल न्यायालय क0ख0 भरतपुर में प्रोसिडिंग चालू हुई।जिसमें दोनो पक्षकारान पहले उपस्थित आए मगर वाद में वादी माधोचरण द्वारा अपने वाद में कोई रूचि नहीं दर्शाई इसलिए मा0 न्यायालय क0ख0 भरतपुर द्वारा दावा दिनांक 29.08.1998 को अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। दावा पुनः नम्बर पर नहीं लिया गया लेकिन दिनांक 23.01.1973 का आदेश आज तक (आरएए अलवर) बदस्तूर चला आ रहा है। जबकि वह दावे के निस्तारण तक ही सीमित था।

दावे मे रहे वादीगण व प्रतिवादीगण का देहान्त हो चुका है। तथा देवकीनन्दन, धर्मशंकर का भाई जीवित है इसलिए प्रार्थना पत्र धर्मशंकर के पुत्र सुभाष द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। दावा खारिज हुए 16 वर्ष हो चुके है रिसीवर बदस्तूर जारी है जो कानूनन उचित नहीं है।

अन्त में प्र[illegible] 3.01.1973 के आदेश में संशोधन कर आराजी को रिसीवर से वागुजार [illegible] की जमा राशि प्रार्थी को दिलाऐ जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Trilok Chand Meena
Date: 2023.02.16 15:03:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र [illegible] एडवोकेट प्रार्थी को एक पक्षीय सुना । [illegible] कि मा0 न्यायालय उपखण्डा[illegible] बयाना में दो दावा माधोचरण बनाम धर्मशंकर व घू[illegible]म धर्मशंकर विवादित आराजी [illegible] प्रस्तुत हुए। उपखण्डाधिकारी बयाना द्वारा दोनों वाद दिनाक 03.05.1983 को [illegible] गए। प्रथम अपील मा0 न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्[illegible] भरतपुर में पेश होने पर मा0 न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन [illegible] भरतपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 07.01.1984 घूडे बनाम धर्मशं[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

सिविल न्यायाधीश भरतपुर को रेफर किया। मा0 न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 07.01.1984 की द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में की गई। मा0 न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपील अपीलांट खारिज कर भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के निर्णय को यथावत रखा। मा0 न्यायालय सिविल न्यायाधीश क0ख0 भरतपुर में वाद पेश होने पर मा0 सिविल न्यायाधीश भरतपुर द्वारा दिनांक 29.08.1998 को वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। अब विवादित आराजी बाबत कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नही है। विवादित आराजी आज भी रिसीवर में है। रिसीवर में ली गई आराजी का वागुजार करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न निर्णयों की छांयाप्रतियो का अध्ययन किया । न्यायालय उपखण्डाधिकारी बयाना में दो वाद माधोशंकर बनाम धर्मशंकर व घूडे बनाम धर्मशंकर विवादित आराजी बाबत। पेश हुए। उपखण्डाधिकारी बयाना के निर्णय दिनांक 03.05.1983 को खारिज किए गए। उपखण्डाधिकारी बयाना के निर्णय दिनांक 03.05.1983 के विरूद्व अपील भू– प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी को अपील पेश हुई। मा0 न्यायालय भू– प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा दावा घूडे बनाम धर्मशंकर खारिज कर तनकी नम्बर 3 व 4 को सुनवाई हेतु सिविल न्यायाधीश भरतपुर को रेफर किया गया। मा0 न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के उक्त निर्णय की अपील मा0 न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में की पेश होने पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.01.1991 से अपील अपीलांट खारिज कर भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 07.01.1984 को बहाल रखते हुए प्रकरण तनकी न. 3 व 4 की सुनवाई हेतु सिविल न्यायाधीश भरतपुर को रेफर किया गया। मा0 न्यायालय सिविल न्यायाधीश क0ख0 भरतपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.08.1998 को प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी सुभाष चन्द्र शर्मा द्वारा इस आशय का शपथ पत्र पेश किया कि उक्त विवादित आराजीयात बाबत अब कोई भी प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

हमने पत्रावली में संलग्न निर्णयों की छांयाप्रतियों का अवलोकन किया । निर्णय अनुसार विवादित आराजीयात को माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के द्वारा उक्त आराजी को रिसीवर में लिये जाने के आदेश पारित हुए। पत्रावली में संलग्न शपथ पत्र (श्री सुभाष चन्द्र शर्मा) अनुसार विवादित आराजीयात बाबत कोई भी वाद वर्तमान में किसी न्यायालय विचाराधीन नहीं है। यहां उल्लेखनीय है कि उक्त आराजीयात बाबत मूल वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में माननीय सिविल न्यायाधीश क0 ख0 भरतपुर द्वारा दिनांक 29.08.1998 को खारिज किया जा चुका है। मूल वाद के खारिज होने पर रिसीवर प्रार्थना पत्र स्वतः ही खत्म हो जाता है। विवादित आराजीयात को मूल वाद के खत्म होने पर रिसीवर में रखा जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थना प्रार्थीगण धारा 144 सीपीसी स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी साविक खसरा नम्बर 2148/1780 लगायत 1786 रकबा 10 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 3906,3912 लगायत 3916, 3919 लगायत 3922 वाके ग्राम बंध बारेठा तहसील बयाना को रिसीवर से वागुजार किया जाता है। तहसीलदार बयाना को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त आरा[illegible] संभलवायें तथा रिसीवर शुदा राशि को नियमानुसार खातेदारान को भु[illegible]की कार्यवाही करें। निर्णय प्रति तहसीलदार बयाना को पाल[illegible] शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आ[illegible]दिनांक 08.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Trilok Chand Meena
Date: 2023.02.16 15:03:27 IST
Reason: SelfAttested

(तिलोकचन्द मीणा RAS)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना